राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या 349/2017..... जिला.....जयपुर...

उनवान – मैसर्स मुस्ताक एण्ड सन्स., जयपुर बनाम् 1. अपीलीय प्राधिकारी–प्रथम, जयपुर 2. वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, संभाग द्वितीय, जयपुर।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17.03.2017	**खण्डपीठ** **श्री मदन लाल, सदस्य** **श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य** अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री विक्रम गोगरा एवं विभाग की ओर से श्री आर.के. अजमेरा, उप–राजकीय अधिवक्ता उपस्थित। यह अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र के अपीलीय प्राधिकारी प्रथम, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.02.2017 जो राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 26, 55 एवं 61 65 के तहत् कायम की गयी मांग राशियों के संबंध में पारित किया गया है, के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। अपील में अपीलीय अधिकारी द्वारा विवादित मांग राशि रू. 37,85,070/– की वसूली पर रोक लगाने के प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर उन्होंने रू. 34,93,070/–पर रोक लगाते हुए शेष रू. 2,92,000/–पर रोक नहीं लगाते हुए स्थगन प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया है। अपीलार्थी की ओर से शेष रू. 2,92,000/–की वसूली पर रोक लगाने हेतु अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र के अधिनियम की धारा 38(4) सपठित धारा 83 के तहत कर बोर्ड में प्रस्तुत की गई है। विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने तर्क दिया कि पारित अपीलीय आदेश विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है, क्योंकि अपीलीय अधिकारी ने रोक प्रार्थना पत्र को आंशिक स्वीकार करने के संबंध में कोई युक्तियुक्त कारण अपने आदेशों में अंकित नहीं किया है। अतः प्रथम दृष्टया प्रकरण व सुविधा सन्तुलन अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में होना प्रकट कर, बकाया वसूली पर रोक लगाने की प्रार्थना की गयी अन्यथा अपीलार्थी व्यवहारी को अपूर्णीय क्षति होने का तर्क दिया गया। विभागीय प्रतिनिधि द्वारा निर्धारण अधिकारी एवम् अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेशों का समर्थन कर, बकाया वसूली पर रोक नहीं लगाने की प्रार्थना की गयी । . उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया एवम् दोनों अवर अधिकरियों द्वारा पारित आदेशों के अवलोकन एवम् उभयपक्षीय तर्कों पर विचार करने के पश्चात्, यह पीठ अनुभव करती है कि हस्तगत प्रकरण में प्रथम–दृष्ट्या सुविधा संतुलन अपीलार्थी के पक्ष में **है।** लिहाजा, अपील के गुणावगुण को प्रभावित किये बिना, अपीलार्थी व्यवहारी के विरूद्ध बकाया मांग राशि **2,92,000/–**की वसूली पर, निर्धारण अधिकारी के संतोष के अनुरूप, इस आदेश प्राप्ति के 15 दिवस में पर्याप्त जमानत प्रस्तुत करने की दशा में, अपीलीय अधिकारी के समक्ष लम्बित अपील के निर्णय अथवा 3 माह तक, जो भी पहले हो, के लिये रोक लगायी जाती है। उक्त आदेश की पालना के अभाव में, रोक आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी समझा जायेगा एवम् अपीलीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि वे इस आदेश प्राप्ति की तिथि से आगामी 3 माह में अपील का गुणावगुण पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें। सदस्य राजस्थान कर बोर्ड अजमेर सदस्य राजस्थान कर बोर्ड अजमेर	